न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
220/2009/वाद पत्र	06.10.2009	07.06.2017

उनवान

1– कैलाश चन्द्र पिता कल्याणमल पाठक नि0 शाहपुरा (मृतक)
1/1 ज्ञानवती पत्नि स्व0 कैलाश चन्द्र पाठक नि0 शाहपुरा
1/2 कृष्णचन्द्र पिता कैलाश चन्द्र पाठक निवासी शाहपुरा
1/3 शशिकला पुत्री कैलाश चन्द्र पत्नि प्रवीण कुमार ओझा नि0 बी–29
सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा
1/4 प्रभावती पुत्री कैलाश चन्द्र पाठक पत्नि हेमन्त कुमार बोहरा नि0 मारूती नन्दन 315 एफ स्टीवर्ड स्कूल के पास, पथिक नगर भीलवाड़ा
1/5 दुर्गावती पुत्री कैलाश चन्द्र पाठक पत्नि दिनेश सारस्वत नि0 8 बालाजी विहार गोपालपुरा बाईपास, बदखास, जयपुर

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अशीष पालीवाल : अधिवक्ता वादीगण
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादी के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, कैलाश चन्द्र के पिता कल्याणमल जी पाठक पुत्र जीवणराम पाठक नि0 शाहपुरा को मु0 जड़ाव उर्फ भूरी बेवा शिवनारायण ब्राम्हण नि0 शाहपुरा द्वारा बजरिये पंजीकृत बक्षीसनामा अपनी सारी चल एवं अचल सम्पति बक्षीस अपने जीवनकाल मे दिनांक 06.11. 1951 को की गई थी। तभी से कल्याणमल जी पाठक समस्त चल–अचल सम्पति के मालिक काबिज चले आ रहे है। जड़ाव उर्फ भूरी की कृषि भूमि प0ह0 शाहपुरा मे 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जिसके वर्तमान आराजी नं0 5301 रकबा 0.15 है0 बने है। कल्याणमल जी मृत्यु के बाद कैलाश चन्द्र का कब्जा खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा है व लगान भी वादी ही देते आ रहे है। जड़ाव उर्फ भूरी का देहान्त 45 वर्ष पूर्व हो गया है। और कल्याण जी पाठीक का स्वर्गवास 18 वर्ष पूर्व हो गया। बक्षीसनामा भूरी बेवा शिवनारायण ब्राम्हण निवासी शाहपुरा के नाम से लिखा गया था। उसका दूसरा नाम जड़ाव ज्यादा चलन मे नही था। राजस्व रेकार्ड मे भूरी की भूमि जड़ाव के नाम से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जबकि जड़ाव उर्फ भूरी के नाम से दर्ज होनी चाहिये। भूरी मु0 जड़ाव बेवा शिवनारायण ब्राम्हण एक ही स्त्री के नाम है इस कारण उक्त बक्षीसनामा के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा कल्याणमल के नाम खाता नही खोला गया। अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर आ0नं0 5301 रकबा 0.15 है0 प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा का खातेदार काश्तकार मु0 जड़ाव उर्फ भूरी बेवा शिवनारायण ब्राम्हण निवासी शाहपुरा के बजाय घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.12.2009 को प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। जवाबदावा हेतु अवसर की मांग की गई। दिनांक 22.05.2012 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे दिनांक 06.11.2012 को निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया आराजी संख्या 5301 रकबा 0.15 है0 प0ह0 शाहपुरा तहसील शाहपुरा का खातेदार मु0 जड़ाव उर्फ भूरी बेवा शिवनारायण ब्राम्हणर निवासी शाहपुरा के बजाय वादी खातेदार काश्तकार घोषित करा नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है ?

— जिम्मे वादी

2. आया वसीयत भूरी द्वारा की गई है जिसका रिकार्ड मे नाम नही है भूमि पैतृक है ? वादी खारिज योग्य है ?

— जिम्मे पेरोकार सरकार

3. दादरसी।

दिनांक 13.08.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 13 सी0पी0सी0 वादी कैलाश चन्द्र की मृत्यु हो जाने से पेश किया गया। जिसकी नकल पेरोकार सरकार को दी गई। दिनांक 24.02.2015 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब बन्द किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान के आदेश दिये गये। दिनांक 29.03.2016 को संशोधन उनवान प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.06.2017 को वादी कृष्णचन्द्र का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। बक्षीसनामा भूरी बेवा सोनारायण ब्राम्हण पाठक निवासी शाहपुरा द्वारा कल्याणमल वल्द जीवणराम के पक्ष मे दिनांक 01.11.1951 को लिखा गया जो पंजीबद्ध है। जमाबन्दी संवत 2014–17 मौजा शाहपुरा आ0न0 2674 रकबा 12 बिस्वा झड़ाव बेवा शिवनारायण ब्राम्हण सा0 देह दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2064–67 आ0न0 5301 रकबा 0.15 है0 जड़ाव बेवा शिवनारायण सुखवाल ब्राम्हण सा0 देह दर्ज रेकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक व हाल रेकार्ड की पुष्टि होती है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण बक्षीस से संबंधित होकर तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है। प्रकरण मे नियमों के परिपेक्ष्य मे पक्षकारान की सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णिय पारित करे। प्रति पालनार्थ तहसीलदार शाहपुरा को भेजी जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के0 आर0 [illegible], RAS

श्री [illegible] बनाम श्री [illegible]
[illegible] शाहपुरा - [illegible] शाहपुरा -प्रतिवादीगण

1/1 [illegible]
1/2 [illegible]
1/3 [illegible]
[illegible]
1/4 [illegible]
[illegible]
[illegible] 315 F [illegible]
1/5 [illegible]
[illegible]

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 [illegible]

मुकदमा नम्बर 29 सन् 09 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

[illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी [illegible] अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 6 सन् 17

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी